"मजबूत लोकतन्त्र सबकी भागीदारी"

जिला निर्वाचन कार्यालय (प्रथम तल मार्केट कमेटी भवन) जिला ऊना ।

संख्या: ई.एल.एन.-ऊना-11/2016-1829-59 दिनांक: 23 /12/2016

प्रेषक

जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त),
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)।

सेवा में

1. प्रधानाचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
ऊना, बंगाणा, अम्ब, दौलतपुर, गगरेट, बीटन व भटोली,
जिला ऊना ।
2. प्रधानाचार्य,
राजकीय बहुतकनीकी शिक्षण संस्थान,
अम्बोटा, जिला ऊना ।
3. प्रधानाचार्य,
राजकीय अद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
जिला ऊना ।
4. समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला,
जिला ऊना ।

विषय:- राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25-जनवरी, 2017 के आयोजन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25-जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है । युवाओं में लोकतन्त्र के प्रति के उतरदायित्व की भावना जगाने व देश के समस्त व्यस्क नागरिकों को मत प्रयोग के ज्ञान हेतु भारत निर्वाचन आयोग का यह एक सराहनीय कदम है जिसके अन्तर्गत प्रथम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25-जनवरी 2011 को जिला में स्थापित समस्त मतदान केन्द्रों पर युवा वर्गीय मतदाताओं को एक संक्षिप्त एवं सादे समारोह में मतदाता फोटो पहचान पत्र, एक बैज (Badge) (लोगो व नारायुक्त) प्रदान किया गया।

वर्ष 1952 में स्वतन्त्र भारत के प्रथम चुनाव सम्पन्न हुए । तत्पश्चात चुनाव आयोग निरन्तर चनुाव सुधारों की ओर प्रगतिशील और अग्रसर है । लेकिन यह देखा गया है कि युवाओं में चुनावों के प्रति उदासीनता है । 18-20 वर्ष आयु वर्ग के युवा अपने मत का प्रयोग कम कर रहे हैं जो देश के लोकतन्त्र के

लिए सही नहीं है । परिणामतः लोगों को विशेषकर युवा वर्ग को मतदान के प्रति जागरूक करना हमारा एक सामाजिक कर्तव्य बनता है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेकर सहभागिता निभायें ताकि एक सशक्त व मजबूत लोकतन्त्र बनें।

लोकतन्त्रीय प्रणाली में मताधिकार नागरिकों के लिए अमुल्य देन है। आज के युवा ही कल देश के निर्माता होंगे जिसके दृष्टिगत ही सरकार द्वारा 81वें संशोधन (1989) द्वारा लोक सभा/ विधान सभा के चुनावों हेतु मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई है क्योंकि इस आयु वर्ग (18-20) वर्ष के युवक/ युवतियां स्कूलों/ कालेजों में अध्ययनरत हैं जिन्हें शिक्षण स्तर पर ही इस सम्बन्ध में शिक्षित, प्रेरित एवं जागृत किया जा सकता है ताकि वे अपने इस मौलिक अधिकार का प्रयोग कर्तव्य परायणता के साथ करें । युवा वर्ग अपना दायित्व उस दशा में ही निभा सकते हैं जब उनके नाम लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली मतदाता सूची में दर्ज हों। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है जिसमें प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यस्क निःशुल्क प्राप्त होने वाले फार्म (प्ररूप-6) को जन्म तिथि प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ व राशन कार्ड की छायाप्रति सहित अपने मतदान केन्द्र पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी अथवा निर्वाचक/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस. डी.एम. व तहसीलदार /नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में जमा करवा सकते है। इसके अतिरिक्त कालेजों में अध्ययरत विद्यार्थी कालेज कैम्पस हेतु नियुक्त कैम्पस अम्बेसडर (Campus Ambassador) के पास जाम करवा सकते हैं।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्य के प्रति व्यक्तिगत रूचि लेते हुए **01-01-2017** को **18 वर्ष** की आयु पूर्ण कर रहे अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने, फोटो पहचान-पत्र बनवाने हेतु जागरूक करने के साथ-साथ अपने शिक्षण संस्थान में देश की लोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादाओं को बनाये रखने हेतु शिक्षित करें । **25 जनवरी-2017** को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का अपने-अपने शिक्षण संस्थानों में आयोजन करें तथा इस अवसर पर स्वतन्त्र एवं, निष्पक्ष शान्तिपूर्ण चुनावों के प्रति दायित्व के निर्वहन की गरिमा के प्रति **शपथ** (प्रतिलिपि सलंग्नित) विद्यार्थियों को ग्रहण करवाएं ।

इसके अतिरिक्त अपने संस्थान के विद्यार्थियों में **7वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2017** के विषय (Theme of the 7th National Voters' Day-2017) **"युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण" (Empowering Young and Future Voters),** चुनाव प्रक्रिया, देश की लोकतन्त्रीय प्रणाली एवं बहु-दलीय राजनीतिक व्यवस्था, गुण एवं दोष एवं राजनीति में महिला आरक्षण की प्रासंगिकता, राजनीतिक अपराधीकरण एवं रोकथाम, मतदान में उदासीनता व दुष्परिणाम, चुनाव प्रक्रिया में सुधार व आयोग की भूमिका, वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चुनावों

उतारो है

का महत्व विषय पर निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर **"युवा मतदाता उत्सव"** (Young Voter's Festival) का आयोजन करवायें ताकि विद्यार्थियों में जागरूकता के साथ-साथ उपयोगी ज्ञान भी विकसित हो सके। इस कार्यक्रम को आप अपने संस्थानों में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोहों के दौरान एक आवश्यक भाग के रूप में आयोजित करें ।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2017 को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मनाया जायेगा जिसमें गत वर्ष की भान्ति नये पंजीकृत मतदाताओं को पी.वी.सी (PVC) फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, बैज (लोगो व नारायुक्त) प्रदान किया जायेगा । इस अवसर पर नाम दर्ज करवाने हेतु समुचित फार्म उपलब्ध करवाये जायेगें जिसमें वे योग्य विद्यार्थी जो अर्हता तिथि 01-01-2017 को 18-वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं ।

मुझे आशा है कि आप इस कार्य के प्रति व्यक्तिगत रुचि लेगें और कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करवायेंगे ।

भवदीय,

जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.) ।

संलग्न: (1)
पृष्ठांकन सं0 ई.एल.एन.ऊना-5-11/2016 – 1829 – 59 दिनांक 23 /12/2016

Endst No:- EDN-U (G-II) Celebration 2016/- 58107-283 Dt 11/01/17
Office of the Deputy Director of Higher Education Una (HP)

Copy to :-
All the Heads GSSS/GHS in Una Distt for information & strict compliance.

Deputy Director of Higher Education
Una District Una (H.P.)
10/1/17

NVD-2017

Theme

"युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण"

"Empowering Young and Future Voters"

****

मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ

" हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे"।

*****